भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3274

जिसका उत्तर 20 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

भूजल प्रदूषण को कम करने के लिए की गई पहल

3274. श्री कृपानाथ मल्लाह:

श्री विजय बघेल:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर छत्तीसगढ़ में भूजल प्रदूषण को कम करने में सरकार की पहल किस हद तक प्रभावी रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार भूजल गुणवत्ता प्रबंधन में सुधार के लिए सामुदायिक भागीदारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी का आकलन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): जल राज्य का विषय है। भूजल गुणवत्ता में सुधार और संदूषण के उपशमन के लिए पहल करने सहित भूजल प्रबंधन का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न केंद्र प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्यों के प्रयासों को समर्थित किया जाता है।

यद्धपि, केन्द्र सरकार द्वारा इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम वार्षिकी, अर्धवार्षिक बुलेटिनों और पाक्षिक चेतावनियों आदि के माध्यम से सीजीडब्ल्यूबी के पास उपलब्ध भूजल गुणवत्ता संबंधी आंकड़ों को नियमित रूप से साझा करना; भूजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अध्ययन करना; सीजीडब्ल्यूबी द्वारा नवीन सीमेंट सीलिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए प्रभावित क्षेत्रों में आर्सेनिक सुरक्षित कूपों का निर्माण करना; उद्योग विशिष्ट निस्सरण मानक निर्धारित करना, उद्योगों के लिए बहिस्त्राव उपचार संयंत्रों (ईटीपी) को अनिवार्य बनाना, निस्सरण की स्थायी रूप से ऑनलाइन मॉनिटरिंग आदि कर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा व्यापक प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा राज्यों के साथ साझेदारी में, अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) – हर घर जल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण

परिवार को पर्याप्त मात्रा में, निर्दिष्ट गुणवत्ता और नियमित एवं दीर्घकालिक आधार पर नल के पेय जल की आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके। इस योजना में भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस : 10500 मानक को नल जल सेवा वितरण की गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानदंडों के रूप में अपनाया गया है।

इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप, यह सूचित किया गया है कि अगस्त 2019 से मार्च 2025 तक देश में दो प्रमुख संदूषक अर्थात आर्सेनिक और फ्लोराइड क्रमशः 14,020 से घटकर 314 और 7,996 से घटकर 251 हो गए हैं। इन शेष रिहाइशों को सामुदायिक जल शोधक संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी) के माध्यम से स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल भी उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त, प्राप्त सूचना के अनुसार, छत्तीसगढ़ में, दिनांक 01.04.2022 को 184 गुणवत्ता प्रभावित रिहाइशें (फ्लोराइड द्वारा 159 और भारी धातुओं द्वारा 25) थीं और अद्यतन स्थिति के अनुसार इन सभी को जेजेएम योजना के तहत शामिल किया गया है।

(ख) और (ग): केंद्र सरकार द्वारा भूजल प्रबंधन को सार्थक जन आंदोलन का रूप देने के लिए बड़े पैमाने पर सामुदायिक और निजी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं:

i. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा जल संदूषण के प्रभावों के विषय में जनता को जागरूक करने और जल गुणवत्ता के लिए स्थायी पद्धतियों को बढ़ावा देने सहित स्थानीय भूजल मुद्दों पर विभिन्न जन संपर्क कार्यक्रम (पीआईपी), जन जागरूकता कार्यक्रम (एमएपी), टियर-II और टियर-III कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में अब तक कुल 6 पीआईपी और एक टियर-II प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

ii. जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल गुणवत्ता पर व्यापक सामुदायिक भागीदारी और जल गुणवत्ता के संबंध में जागरूकता सृजन के उद्देश्य से प्रत्येक गांव से पांच व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं की पहचान की जाती है और उन्हें फील्ड टेस्ट किटों (एफटीके) के माध्यम से जल नमूनों की जांच करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इस प्रकार, देश भर में 24 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें दुर्ग जिले में लगभग 2,400 और बेमेतरा जिले में 3,475 महिलाएँ शामिल हैं।

iii. सरकार द्वारा सक्रिय सामुदायिक भागीदारी से वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। स्थानीय समुदाय के साथ समन्वय बनाए रखने और जल संबंधी ज्ञान के प्रसार के लिए देश के विभिन्न जिलों में इस अभियान के तहत जल शक्ति केंद्र (जेएसके) स्थापित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 31 जेएसके स्थापित किए गए हैं जिनमें दुर्ग और बेमेतरा में एक-एक जेएसके शामिल हैं।

iv. माननीय प्रधान मंत्री द्वारा भारत में जल स्थायित्वता के लिए जल संचय जन भागीदारी द्वारा एक समुदाय-आधारित प्रयास का शुभारंभ किया गया है, यह जल संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में स्थापित करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का परिचायक है। यह पहल

कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं / बोरवेल रिचार्ज शाफ्ट के निर्माण पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से जल संरक्षण में जन भागीदारी अथवा लोगों की सहभागिता के महत्व पर जोर देती है, जिससे भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी और भूजल पुनर्भरण के संवर्धन में सहायता प्राप्त होगी। इस प्रकार, छत्तीसगढ़ में कुल 2.55 लाख भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें दुर्ग जिले में 4,998 और बेमेतरा जिले में 2,510 भूजल संरचनाएं शामिल हैं।

v. इसके अतिरिक्त, जल शक्ति मंत्रालय और इसके संगठनों द्वारा देश में जन जागरूकता और जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक रूप में गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ कार्य भी किया जाता हैं।

*****